अधिकतर इमारतों के अग्निशमन यंत्र खराब

जागरण ब्यूरो, कोलकाता : महानगर की अधिकतर इमारतों में आग बुझाने के यंत्र खराब पड़े हुए हैं। यहां तक कि मेट्रो रेलवे और सचिवालय के भी कुछ अग्नि शमन यंत्र खराब हैं। यह जानकारी दमकल विभाग के उप निदेशक गोपाल भट्टाचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि अग्निशमन कानून 1996 के अनुसार अग्नि शमन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दो वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि 1996 के बाद बन रही इमारतों को अग्निशमन विभाग से मकान बनवाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है लेकिन इसके पहले की बनी इमारतों में भी आग बुझाने के यंत्र रखने अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि दमकल विभाग घर-घर में जाकर जांच करने की स्थिति में नहीं है लेकिन कोई हादसा होने पर यंत्र नहीं रखने के आरोप में मकान मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सचिवालय में भी अग्निशमन के यंत्र कभी कभार खराब पाये जाते हैं। इसके अलावा बड़े होटलों और रेस्तराओं में भी अग्निशमन के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। वह हिंदुस्तान होटल में आग बुझाने के यंत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आये हुए थे। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस होटल के भी अग्नि शमन यंत्र खराब हैं। मेट्रो रेल में लगे कुछ अग्निशमन यंत्र के लैंडिंग वाल्व भी खराब हैं।

आग बुझाने का यंत्र एलायड फायर बाजार में

जागरण ब्यूरो, कोलकाता : अग्नि शमन मंत्री प्रतीम चटर्जी ने गुरुवार को आग बुझाने के लिए एलायड फायर का उद्घाटन किया। उन्होंने निर्माणकर्त्ता को इस यंत्र को उनके विभाग को नमूने के तौर पर देने का आग्रह किया जिससे कि इसकी जांच पड़ताल की जा सके। हालांकि आग पर यंत्र को फेंक कर प्रयोग किया गया, जो कारगर साबित हुआ। एलायड फायर की बनावट ग्रेंद की तरह है जिसमें मोनोअमोनिया पाउडर आदि भरा गया है। यह आग के संसर्ग में आते ही फट जाता है जिससे आग बुझ जाती है। इसका वजन 1.3 किलोग्राम है। यह प्रदूषण के लिए किसी तरह का हानिकारक नहीं है। इसे दूर से ही आग पर फेंका जा सकता है। इसका निर्माण श्याम सेफ्टी प्रीमियर कंपनी लिमिटेड ने किया है। इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध निदेशक सूर्यकांत खेमका ने कहा कि इसकी कीमत नौ हजार रुपये है। यह पांच वर्ष तक उपयोग किया जा सकता है। इस दौरान इसके रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी की है। उन्होंने कहा कि इसके प्रयोग के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद इसका देश के अन्य महानगरों में इसके उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। खासकर बड़े घरों, होटलों, क्लबों आदि में इसे बेचने की कोशिश की जायेगी।